

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/192918/ALG/ALIGARH/3505/CFO

दिनांक: 25-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **R P S GLOBAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **HARSUKH KI NAGALIYA JATTARI ALIGARH 202137, HARSUKH KI NAGALIYA JATTARI ALIGARH 202137, ALIGARH** तहसील - **KHAIR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
R P S GLOBAL SCHOOL	2	0	7.32 mt.

तथा प्लॉट एरिया **7680.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **R P S GLOBAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **27-03-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SATYWATI** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-03-2026** से **29-03-2031** तक **5** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : FssO खैर के भौतिक/निरीक्षण व संस्तुति पर पूर्व noc1668/cfodate/14.2.23केअनुक्रम मे,मानचित्र मे इंगित शैक्षणिक कोउपF&E act2022वउपF&E rules2024काअनुपालन करने व 06माह मे डिल करने की शर्तो केअधीन renewal noc निर्गत किया जा रहा है जिसमे अहअभिकर्ता से प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें।2-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करनाअनिवार्य होगा।3-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तो के अधीन न रखने पर या उल्लघन करने पर/अपलोडअभिलेख असत्य पाये जाने पर/संरचना मे बदलाव करने/समय से नवीनी0न कराने/Fire safetyव्यवस्थाओ का अकार्यशील रखने/पाये जाने पर उक्त nocको स्वतःनिरस्त माना जयेगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)

[85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A]

30-03-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-03-2026
स्थान : ALIGARH